जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा।

संस्थित का दिनांक— 23.03.2023
निर्णय का दिनांक— 25.09.2023

परिवाद संख्या— 51/2023

श्रीमती रजनी नागर पत्नी श्री रवीन्द्रनाथ नागर निवासिनी 208, अनंतश्री अपार्टमेन्ट, सेन्ट कॉनराड इंटर कालेज के पीछे, कैलाश बिहार आगरा।

द्वारा विद्वान अधिवक्ता—श्री अखिलेश कुमार यादव एडवोकेट

———————— परिवादिनी

बनाम

01. जोनल मैनेजर सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 रजिस्टर्ड आफिस सहारा इण्डिया भवन 1 कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज लखनऊ।
02. रीजनल मैनेजर सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 रजिस्टर्ड आफिस सी—2/48, ग्रीव्स काम्पलेक्स कमलानगर, आगरा।

———— प्रतिपक्षीगण

उपस्थित— श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
डॉ0 अरूण कुमार, मा0 सदस्य

(श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

निर्णय

परिवादिनी द्वारा यह परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्व जमा धनराशि मु0 89000/—रूपये देय तिथि पर परिपक्वता धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण सेवा में कमीं के आधार पर परिपक्वता धनराशि मय ब्याज, मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति व वाद व्यय हेतु संस्थित किया गया है।

2— परिवादिनी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है, कि उसने प्रतिपक्षीगण कम्पनी द्वारा संचालित स्कीम पर विश्वास व्यक्त करते हुये एफ0 डी0 की, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

एफ0डी0 संख्या	जमा का दिनांक	धनराशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता धनराशि
925009063087	27.02.2019	89000/—रूपये	27.08.2020	1,02,083/—

परिवादिनी परिपक्वता तिथि के पश्चात परिपक्वता धनराशि के लिए प्रतिपक्षी संख्या 02 के कार्यालय में कई बार गई तो उसे बताया गया कि पुनः आये और भुगतान में टाल मटोल करते रहे । परिवादिनी जब पुनः प्रतिपक्षी संख्या 02 के कार्यालय में अपना भुगतान लेने पहुँची तो प्रतिपक्षी संख्या 02 के प्रबन्धक ने भुगतान करने से मना कर दिया। तत्पश्चात परिवादिनी ने प्रतिपक्षीगण को एक विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार यादव एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 25.02.2023 को प्रेषित किया, किन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा परिपक्वता धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादिनी प्रतिपक्षीगण की उपभोक्ता है और देय तिथि पर सेवा शर्तों के अनुसार भुगतान न कर, प्रतिपक्षी कम्पनी द्वारा सेवा में कमी कारित की गई है। ऐसी स्थिति में यह परिवाद इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3— प्रतिपक्षीगण पर नोटिस की तामील पर्याप्त रूप से हुई । प्रतिपक्षीगण की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए दिनांक 17.05.2023 को अग्रसारित किया गया।

5— परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र कागज संख्या 2/1 लगायत 2/2 दिनांकित 23.03.2023 तथा एक पक्षीय साक्ष्य के अन्तर्गत शपथ पत्र कागज संख्या 16/1 लगायत 16/2 दिनांकित 17.07.2023 प्रस्तुत किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सहारा केडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 द्वारा निर्गत एफ0 डी0 की मूल प्रति सूची संख्या 18 के साथ मूल प्रति एवं छायाप्रति कागज संख्या 3, परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपक्षीगण को भेजे गये विधिक नोटिस, दिनांकित 25.02.2023 कागज संख्या 4/1 लगायत 4/2 प्रस्तुत किये गये हैं।

6— परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार यादव एडवोकेट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

7— परिवादिनी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य के रूप में रसीद संख्या 925009063087 धनराशि 89000/—रूपये दिनांक 27.02.2019 की एफ0 डी0

स्वयं के नाम (रजनी नागर) द्वारा मूल प्रति एवं छायाप्रति दाखिल की गयी हैं, इसके अतिरिक्त परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार यादव एडवोकेट द्वारा प्रतिपक्षीगण को भेजे गये विधिक नोटिस की प्रति, रजिस्टर्ड डाक की रसीद की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं। अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में परिवादिनी द्वारा अपना शपथ पत्र दाखिल किया है । परिवादिनी की ओर से दाखिल किये गये एफ0 डी0 प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है, कि रसीद संख्या 925009063087 धनराशि 89000/–रूपये दिनांक 27.02.2019 को एफ0 डी0 के रूप में निवेशित की गई थी। उपरोक्त निर्गत प्रमाण पत्र के अनुबन्ध एवं शर्तो के अनुसार निवेश कर्ता को 18 माह की अवधि के उपरान्त परिपक्वता धनराशि का भुगतान होना था, किन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा ऐसा न करके अनुबन्ध एवं शर्तो का उल्लंघन किया गया है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादिनी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का सम्बन्ध स्थापित होता है। ऐसी परिस्थितियों में कथित एफ0 डी0 पर परिवादिनी नियमानुसार परिपक्वता धनराशि ब्याज सहित पाने की अधिकारिणी है। प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी का अखण्डित शपथ पत्र दाखिल है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। परिवादिनी का परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है, कि रसीद संख्या 925009063087 धनराशि 89000/–रूपये की परिपक्वता धनराशि 1,02,083/– (एक लाख दो हजार तिरासी रूपये) पर परिपक्वता दिनांक 27.08.2020 से वास्तविक अदायगी तक 07 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित इस निर्णय/आदेश की तिथि के 45 दिन के अन्दर परिवादिनी को अदा करे। ऐसा प्रतिपक्षीगण द्वारा न किये जाने की दशा में उपरोक्त धनराशि पर परिवादिनी, प्रतिपक्षीगण से 07 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के स्थान पर 09 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पाने की अधिकारिणी होगी।

इसके अतिरिक्त मानसिक उत्पीड़न के रूप में 5000/–रूपये (पाँच हजार रूपये) एवं वाद व्यय के रूप में 2000/– रूपये (दो हजार रूपये) प्रतिपक्षीगण परिवादिनी को 45 दिन के अन्दर अदा करे। परिवादिनी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय/आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रतिपक्षीगण को रजिस्टर्ड डाक से अनुपालनार्थ भेजना सुनिश्चित करे।

(डॉ0अरूण कुमार)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

आज यह निर्णय खुले आयोग में हस्ताक्षरित व दिनांकित उदघोषित किया गया।

(डॉ0 अरूण कुमार)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

दिनांक – 25.09.2023
एस0एस0 पी0 ए0–2

Free certified copy
Serial No. of the application 504
Date of receipt of application 29/09/2023
Name of the applicant
Date of disposal 29/09/2023
Date of Preparation of copy 29/09/2023
Date of dispatch of free certified copy of order
By Hand 29/09/2023
By Post By Hand
P.A-2
29/09/2023

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम आगरा

निष्पादन वाद संख्या— 13/2024

श्रीमती रजनी नागर पत्नी श्री रवीन्द्रनाथ नागर ——— डिक्रीदार/परिवादिनी

बनाम

जोनल मैनेजर सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 आदि

——— प्रतिपक्षी/निर्णीत ऋणी

उपस्थित— श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

दिनांक— 13.09.2025

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। डिक्रीदार/परिवादिनी को सुना गया कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। डिक्रीटल धनराशि मु0 1,53,460/—रूपये जिला कलेक्टर लखनऊ द्वारा आर0 सी0 के माध्यम से वसूल कर प्राप्त कराई गयी है, जो कार्यालय आख्या के अनुसार इस आयोग के खाता में जमा है। डिक्रीदार/परिवादिनी उपरोक्त जमा धनराशि को प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

आदेश

जमा धनराशि मु0 1,53,460/— (एक लाख तिरपन हजार चार सौ साठ रूपये) का भुगतान डिक्रीदार/परिवादिनी को एकाउन्टपेई चेक के माध्यम से यथा शीघ्र किया जाये। निष्पादन कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य अध्यक्ष

श्रीमान जी चैक सं० - 097327 दि:- 13/9/25 राशि रू 1,53,460=00
मूल रूप में प्राप्त किया।

Rajni Nagar
(रजनी नागर)

punjab national bank

सूर्या नगर, आगरा (उ.प्र.)
SURYA NAGAR, AGRA UP - 282002
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0098300

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

1 3 0 9 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

PAY रजनी नागर A/C No. - 00300001000451378 या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES एक लाख तिरपन हजार चार सौ साठ रुपया

अदा करें ₹ 153460/=

केवल तीन माह के लिये वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY

खाता सं० A/c. No. 0983000100173594

बचत खाता SAVINGS A/c

0983000100173594 Sr. ASSISTANT
D.C.D.R.C.-Ist, AGRA

P.K. 13/9/25

PRESIDENT
D.C.D.R.C.-Ist, AGRA
ZILA UPBHOKTA VIVAD PRATITOSH FORUM FIRST

Please sign above

NUTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010

29/08/24 097327

VOID

AT6K2F

IWU

⑈097327⑈ 282024010⑆

श्रीमान जी मूल चेक प्राप्त किया।
31
Rajni Nagar